UPVR010099722025

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।**

उपस्थितः संजीव शुक्ला, यू0 पी0 1900

फौजदारी निगरानी संख्या-470/2025

ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र हरीश चन्द्र गुप्ता उर्फ मूसे साव निवासी मकान नंबर सी.के. 13/18 सुखलाल शाह, थाना चौक, जिला वाराणसी।

**.....निगरानीकर्ता**

बनाम

1- उत्तर प्रदेश सरकार।

2- सुनील कुमार पुत्र बेनी माधव गुप्ता निवासी मकान नंबर 3/382 मोहल्ला रामपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी।

**.....विपक्षीगण**

**निर्णय**

1- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-5, वाराणसी द्वारा मुकदमा संख्या 4554/2024 सुनील कुमार बनाम् ओम प्रकाश गुप्ता में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 14-08-2025, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विपक्षी/अभियुक्त द्वारा परिवादी से मु०-2,50,000/- नकद उधार लिया गया था। विपक्षी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त रुपये के एवज में तीन चेक के द्वारा मु०-50,000/-रुपये पंजाब नेशनल बैंक का दिया गया था, जो अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी पर लीगल नोटिस के माध्यम से सूचना दी

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.24 14:29:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी किन्तु विपक्षी द्वारा केवल आश्वासन दिया गया कि पैसा वापस कर देंगे। दिनांक 15.12.2024 को पंचायत के माध्यम से परिवादी का पूरा पैसा वापस करने की बात से मुकर जाने पर परिवादी द्वारा यह वाद दाखिल करने में विलंब हुआ।

3- उक्त प्रार्थना-पत्र पर विपक्षी/अभियुक्त द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया कि परिवादी द्वारा क्यों व किस सन्दर्भ में प्रार्थना-पत्र दिया गया तथा कितने दिन के विलंब से दिया गया यह प्रार्थनापत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। कथित तीनो चेक में से किसी भी चेक के सन्दर्भ में वाद कारण दिनांक 15.12.2024 को उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः परिवादी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्षित किया गया कि धारा 5 मियाद अधिनियम में परिवाद का संज्ञान निर्धारित समय व्यतीत होने के उपरांत भी किया जाना प्रावधानित पाते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

5- प्रश्नगत निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि विपक्षी संख्या 2 ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र में कहीं उल्लिखित नहीं किया है कि परिवाद दाखिल करने में कितने दिन का विलम्ब हुआ है और उसका कारण क्या है। धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रावधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई परिवाद अगर विलम्बित है तो वह विशेष परिस्थितियों में ही क्षमा किया जाय। परिवाद में विपक्षी संख्या 2 ने पंजाब नेशनल बैंक के तीन चेक संख्या 309031, 1,00,000/- रूपये दिनांकित 01.09.2024, चेक संख्या 309032 1,00,000/- रूपये दिनांकित 03.09.2024 व चेक संख्या 309033 50,000/- रूपये दिनांकित 04.10. 2024 के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। चेक संख्या 309031 व 309032 एक साथ दिनांक 01.10.2024 को अनादृत हुआ जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2024 को परिवादी ने नोटिस भेजा जिसका तामिला 11.10.2024 को बताया गया तथा परिवाद 23 दिन के विलम्ब से दाखिल किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14.08.2025 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। याचना की गयी है कि निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांकित 14-08-2025 निरस्त किया जाये।

6- विपक्षी संख्या 2 की ओर से निगरानी के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके द्वारा अपने परिवाद में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में विलंब का स्पष्टीकरण दिया है। निगरानीकर्ता द्वारा उसका पैसा वापस करने में हीला-हवाली की गयी जिस कारण परिवाद दाखिल

करने में विलंब हुआ। दिनांक 15-12-2024 को निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा स्पष्ट रुप से धनराशि देने से इन्कार कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन करने के बाद स्वीकृत किया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाए।

7- राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा मौखिक रुप से आपत्ति कर कथन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अनियमितता नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए विधि के अनुसार आक्षेपित आदेश पारित किया है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

8- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आपराधिक निगरानी में परिवादी द्वारा 23 दिन के विलंब से परिवाद दाखिल करने का मुख्य आधार लिया गया है व परिवादी द्वारा विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना कहा गया है। परिवादी द्वारा परिवाद विलम्ब से दाखिल किये जाने का कारण निगरानीकर्ता/विपक्षी द्वारा दिनांक 15-12-2024 को पंचायत के माध्यम से परिवादी का पूरा पैसा वापस करने की बात से मुकर जाना कहा गया है।

10- धारा-5 मियाद अधिनियम के संबंध में निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा-

विधि व्यवस्था **ईशा भट्टाचार्य आदि बनाम् प्रबंधक समिति रघुनाथपुर नगर इत्यादि** (2013) 12, एस0सी0सी0 64, एस0सी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा विलंब माफी में लिये गये कारण पर उदार निर्वाचन किया जाए।

11- उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 14-08-2025 विधि सम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है एवं उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 470/2025 तद्नुसार निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली पर रखी जाए तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलंब

सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-24-06-2026

( संजीव शुक्ला )
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 1900

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-24-06-2026

( संजीव शुक्ला )
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 1900

Steno-Rohit Shukla